कलेक्टर ने सांगटेडा और शेरपुर आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण

जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कोटपूतली(निसं)। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने बुधवार को कोटपूतली क्षेत्र के ग्राम सांगटेडा तथा बहरोड़ क्षेत्र के ग्राम शेरपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर संचालित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों का अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी गतिविधियों, पढ़ाई एवं पोषण संबंधी जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से केंद्र आने, स्वच्छता बनाए रखने तथा पौष्टिक आहार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से चर्चा कर केंद्र संचालन, बच्चों की उपस्थिति, पोषण ट्रैकिंग एवं रिकॉर्ड संधारण की जानकारी प्राप्त की।

जिला कलेक्टर ने केंद्रों पर उपलब्ध पोषण आहार की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए तथा पोषण अभियान के उद्देश्यों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने काली बाई भील उड़ान योजनांतर्गत सेनेटरी नैपकिन की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र बालिकाओं तक नियमित रूप से लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मिनी सचिवालय गेट पर हंगामा, थानेदार से उलझे बुजुर्ग पेंशनर्स

अलवर(निसं)। अलवर में बुधवार सुबह बुजुर्ग पेंशनर मिनि सचिवालय के बाहर थानेदार से उलझ गए। सुबह 11 बजे पेंशनर चिकित्सा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिनि सचिवालय के अंदर जाना चाहते थे। लेकिन अरावली विहार पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। पेंशनर्स ने चिकित्सा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर के मंत्री अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि यह योजना 2021 में लागू की, पेंशनर्स ने अपने वेतन से कटौती कराई थी। इस सरकार के समय पेंशनर्स की दवाएं व इलाज बंद कर दी हैं। हमने सरकार को वेतन पर आयकर दिया है। एक तरफ सरकार फ्री दवा व राशन देती है, लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर के इलाज व दवा को बंद कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में आरजीएचएस योजना के तहत पेंशनर्स को इलाज दिया जाना चाहिए। पेंशनर्स मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। पेंशनर दिलीप कुमार ने कहा कि पूर्व सरकार ने आरजीएचएस की योजना शुरू की। लेकिन मौजूदा सरकार में यह योजना अच्छे से नहीं चल रही है। आए दिन दवाएं बंद कर दी जाती हैं। इस योजना के तहत अब पूरी तरह इलाज बंद कर दिया है। जिसके लिए पेंशनर्स एकत्रित हुए हैं। सबकी एक ही मांग है कि दवा व इलाज चालू रहे।

मिनि सचिवालय के बाहर पेंशनर्स ने चिकित्सा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

■ एक तरफ सरकार फ्री दवा व राशन देती है, लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर के इलाज व दवा को बंद कर दिया गया है, पूरे प्रदेश में आरजीएचएस योजना के तहत पेंशनर्स को इलाज दिया जाना चाहिए

आठ स्कूटी सहित एक वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर(निसं)। मालवीय नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम पूर्व (डीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहनर चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 8 स्कूटी बरामद की गई हैं। आरोपी ने पूछताछ में जयपुर शहर से करीब एक दर्जन वाहन चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि मालवीय नगर थाना पुलिस और डीएसटी पूर्व ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहनर चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर चंदू उर्फ चेतन बैरवा (24) निवासी जवाहर नगर कच्ची बस्ती को गिरफ्तार किया।

आरोपी से मालवीय नगर, शिप्रापथ, ज्योति नगर, कोतवाली, प्रताप नगर और एसएमएस थाना क्षेत्रों से चोरी की गई कुल 8 स्कूटी बरामद की गई हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर स्मैक का नशा करता है और नशे की पूर्ति के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी चोरी किए गए वाहनों को सुनसान स्थानों पर छोड़ देता था और कई बार वाहन से पेट्रोल खत्म होने पर दूसरी स्कूटी चोरी कर लेता था। पुलिस के अनुसार आरोपी को नशे की इतनी लत लग चुकी थी कि उसे कई बार यह भी याद नहीं रहता था कि चोरी का वाहन कहां छोड़ा है।

15 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा

फुलेरा(निसं)। फुलेरा थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का मात्र 15 घंटे में खुलासा करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी हुई पिकअप गाड़ी तथा करीब 5 लाख रुपये कीमत का छत भरने का सामान बरामद किया गया। फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि परिवादी सोनाराम जाट निवासी हबसपुरा, थाना सांभरलेक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने अपनी पिकअप गाड़ी को फुलेरा-जोबनेर रोड स्थित किराये के गोदाम पर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह गोदाम पहुंचने पर गाड़ी और सामान गायब मिला।

विशेष अभियान में 1600 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार

जयपुर(निसं)। राजस्थान पुलिस ने संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, अवैध हथियार तस्करी और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ राज्यभर में एक साथ बड़ा अभियान चलाकर अपराध जगत में हड़कंप मचा दिया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन्स आनन्द श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए गए तीन दिवसीय विशेष अभियान में राज्य के सभी जिलों में एक साथ चौतरफा कार्रवाई की गई।

इस अभियान के दौरान करीब 605 हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर 163 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 195 अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

वहीं राज्यभर में फरार चल रहे 608 इनामी अपराधियों की तलाश करते हुए 270 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जिलों, वृत्तों और थानों के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल 1250 अपराधियों की तलाश कर 712 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा 294 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

साथ ही अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1124 संदिग्ध अपराधियों की सघन जांच कर 417 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए और 121 नए प्रकरण दर्ज किए गए। साथ ही 10 लंबित आर्म्स एक्ट मामलों का भी निस्तारण किया गया और गैंगस्टर नेटवर्क और सोशल मीडिया फॉलोवर्स पर भी पुलिस की खास नजर रही।

गैंग के 139 सदस्यों, सहयोगियों और सोशल मीडिया फॉलोवर्स के ठिकानों पर दबिश देकर 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भरतपुर में पहली बार लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल, किसानों को वापस मिलेगी विकसित जमीन

भरतपुर (निस)। भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए द्वारा प्रस्तावित लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर मलाह ग्राम पंचायत में किसानों के साथ जनसुनवाई और बैठक आयोजित की गई। बैठक में काफी संख्या में मौजूद किसानों ने इस स्कीम का विरोध करते हुए अपनी जमकर नाराजगी जताई और बीडीए अधिकारियों द्वारा किसानों का पक्ष को नहीं सुनने का भी आरोप लगाया। बैठक में बीडीए अधिकारियों ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह भूमि अवाप्ति (अधिग्रहण) की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि साझेदारी आधारित विकास मॉडल है, जिसमें किसानों को विकसित भूमि वापस दी जाएगी।

बैठक में मौजूद भरतपुर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त लावण्या गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा और बीडीए कमिश्नर के निर्देशन में किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण एलपीएस योजना के तहत चार नई स्कीम लेकर आ रहा है। उपायुक्त ने कहा कि पारंपरिक भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में काफी समय लगता है और कई प्रकार की जटिलताएं सामने आती हैं।

इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग योजना लागू कर रहा है।

इसके तहत किसानों की जमीन साझेदारी मॉडल में ली जाएगी और विकास कार्य पूरा होने के बाद किसानों को उनकी भूमि का करीब 45 से 55 प्रतिशत हिस्सा विकसित भूमि के रूप में वापस दिया जाएगा।

बैठक में काफी संख्या में मौजूद किसानों ने इस स्कीम का विरोध करते हुए अपनी नाराजगी जताई।

नाम परिवर्तन

मैं जगमोहन बघेल मेरी पत्नी का नाम दुर्गेश से बदलकर दुर्गेश बघेल तथा जन्म दिनांक 21/08/1986 से 01/06/1987 कर लिया है भविष्य मे मेरी पत्नी को दुर्गेश बघेल के नाम से जाना जाए। तथा मेरे पुत्र का नाम भावेश पाल से बदलकर भावेश बघेल कर लिया है।

मैं, कलापना जेना, पत्नी आर्मी नं. JC 295668W नायब सूबेदार प्रसांत कुमार जेना, निवासी ग्राम- कटना, पोस्ट- गोलकुंड, तहसील- बरी, जिला- जाजपुर, ओडिशा- 755005, मेरे पति के सेवा अभिलेख (Service Record) में मेरी नाम गलती से कलापना जेना दर्ज हो गया है। मेरी सही नाम कल्पना जेना है। अतः भविष्य में मेरे पति के सेवा अभिलेख में दर्ज मेरी नाम कल्पना जेना ही मान्य एवं वैध होगा।

मैंने अपना नाम स्वेता मित्तल से बदलकर स्वेता अग्रवाल कर लिया है। स्वेता अग्रवाल पत्नी श्री नितेश मित्तल, मकान नंबर A-129, जनता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैंने अपनी पुत्री कनिका धानका के विद्यालय रिकॉर्ड में अपना नाम गिर्राज धानका से बदलकर गिर्राज व मेरी धर्मपत्नी का नाम सीमा धानका से बदलकर सीमा कर लिया है, गिर्राज धानका पुत्र ताराचंद निवासी- 284, पुराना आमेर रोड़, ऑपोजिट बिलाला गार्डन, सुभाष चौक, जयपुर

मैं सत्यवती यादव पत्नी इन्द्रसिंह (EX HAV Army No.4553040 K) निवासी 70 चन्द्र नगर-बी कालवाड़ रोड़, जयपुर, में अपना नाम सत्यवती से बदलकर सत्यवती यादव रख लिया है। अतः अब से मुझे सत्यवती यादव के नाम से जाना- पहचाना जावे।

I smt Ram Devi W/O army no13614355N Late Hav Shree Tara Chand resident of vpo Rajpura teh laxmangarh Sikar that i want to change name of my dependent from HEM LATA To HEMLATA vide affidavit dated 8 may 2026 before sub divisional magistrate Jaipur city north

I army no 2692729X Ex Hav Raghuveer singh S/O Mohan Singh resident of plot no 250 vishnu vihar colony nagal jaisa bohra jhotwara jaipur that i want to change my dependent name from NITHIN to NITIN vide affidavit dated 8 may 2026 before district sub divisional magistrate Jaipur city north

I navy no 147393K Ex PO Pratap Singh resident of plot no 48 Ranjit Nagar khatipura jaipur that i want to change my daughter name from JYOTI KANWAR To JYOTI KHANGAROT vide affidavit dated 8 may 2026 before sub divisional magistrate Jaipur city north

I, KAPTAN SINGH, S/o NATTHI RAM, R/o Kherli Goojar, PO: Kherli Gurjar, DIST: Karauli, Rajasthan - 322254, have changed the name of my minor son DIPENDRA DEEPAK GURJAR, aged 15 years and he Shall Hereafter be Known as DEEPAK GURJAR.

I, GOVIND SINGH, S/o BISHRAM SINGH, R/o Chhawadi, Patti, Moondiya, Karauli, Rajasthan - 322254, have changed the name of my minor daughter TAMANNA, aged 13 years and she Shall Hereafter be Known as EKTA KUMARI.

I hitherto known as KESHANTI, W/o RAMESHWAR PRASAD, R/o Ward No.07, Jagdishpura, Jagdishpura, Karauli, Rajasthan - 322254, have changed my name and shall hereafter be known as KESULA.

I hitherto known as RAJESH KASHLIWAL alias RAJESH KUMAR SARAOGI, S/o PANNALAL JAIN, R/o Ladnun, Ward No 11, Near Bada Jain Mandir, Ladnun, Bankaliya, Bankalia, Nagaur, Rajasthan - 341306, have changed my name and shall hereafter be known as RAJESH KUMAR SARAOGI.

I hitherto known as NISHA KASHLIWAL alias NISHA JAIN, W/o RAJESH KUMAR, R/o 103, D-11/12, Gautam Marg, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur, Ajmer Road, Rajasthan - 302006, have changed my name and shall hereafter be known as NISHA JAIN

As per PNB METLIFE policy My name is Mohit S/O Jwala Singh DOB 01.01.2006 But In my Original Documents My Name is Mohit Beniwal S/O Jwala Singh Beniwal DOB 30.06.2007 Both person are the same person and In future I will be recognize as My Original Documents Mohit Beniwal S/O Jwala Singh Beniwal They both are same

नम्बर मिलाइए
8890333139

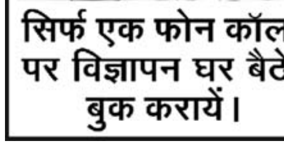

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

जेडीए योजना- कल्पना नगर, आगरा रोड़ के प्लॉट नं. ई-196 का मूल अलॉटमेंट लेटर एवं कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। कृप्या मिलने पर सूचित करेंः अनिल कुमार शर्मा, 7737725628

मेरा मकान सं. 30/15, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल कार्यालय आदेश लैटर (6374/30.9.2020) कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- प्रकाश चन्द सैन-9414717861

आवास संख्या 43/34/09 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। महावीर कुमार मो. 9001494380

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की आवासीय योजना-आनन्द लोक फेज-।। सीकर रोड जयपुर के प्लॉट नम्बर 223 का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। विजय नारायण माथुर- मो.नं. 8527984180

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना

आदेश 41 के नियम 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय भू-राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर कैम्प कोर्ट, चूरू

पतासी बानो बनाम जाकिर हुसैन आदि

अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय व डिक्री आदेश के विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध अपीलान्ट ने इस न्यायालय में आप निम्न के विरुद्ध अपील संस्थित की है।

(1) जाकिर हुसैन, (2) अब्दुल सतार, (3) मोहम्मद असलम, पुत्रगण यासीन निवासीगण वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (4) जाफर हुसैन, (5) कादर बक्श, (6) सलीम, (7) जीवणी पत्नी यासीन जाति तेली निवासी वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (8) युसुफ, (9) जाफर, (10) राजू, (11) मुंशी, पुत्र/पुत्रियां स्व. यासीन निवासी वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (12) नसीम, (13) बाबू, (14) राजमा, (15) जावेद, (16) हारून, पुत्रगण साबीर जाति तेली निवासी वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (17) मोहसीन, (18) समीम पत्नी साबीर जाति तेली निवासी वार्ड न. 07, घूस (राज.), (19) मोहम्मद युसुफ पुत्र सुलेमान जाति तेली निवासी वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (20) मोहम्मद ईस्माईल, (21) शौकत अली, (22) मुस्लिम, पुत्रगण स्व. नूर मोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड न. 07, चूरू (राज.), (23) जुबेदा बेगम पत्नी स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड न. 10, चूरू (राज.), (24) अनवर हुसैन पुत्र स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड न. 10. चूल (राज.), (25) फरीदा बेगम पत्नि स्व. जाकिर हुसैन जाति तेली निवासी वार्ड न. 10, चूरू (राज.), (26) रियाज अहमद पुत्र स्व. जाकिर हुसैन जाति तेली निवासी वार्ड न. 10, चूरू (राज.), (27) फरदीन अहमद पुत्र स्व. जाकिर हुसैन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.), (28) जुबेरा भाटी पुत्री स्व. जाकिर हुसैन जाति तेली विदासी वार्ड न. 10, चूरू (राज.), (29) जिया पुत्री स्व. जाकिर हुसैन जाति तेली निवासी वार्ड न. 10, चूरू (राज.), (30) साकिरा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10, चूरू (राज.), (31) साजिदा पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड 2. 10, चूरू (राज.), (32) सवनम बानो पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड न. 10, चूल (राज.), (33) रंजूम पुत्री स्व. रमजान जाति तेली निवासी वार्ड र 10, चूरू (राज.), (34) शशिकांत पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी एवं ब. 23, चूरू (राज.), (35) मोहम्मद अयूब खान पुत्र अयूब खान जाति कायमग्री निवासी वार्ड न. 09, चूरू (राज.), (36) अयूब खान पुत्र नवाब खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 23 चूरू (राज.), (37) निसार थीम पुत्र हनीफ थीम जाति कसाई निवासी वार्ड न. 12, चूरू (राज.), (38) मोहम्मद शकील खान पुत्र निजामुदीन जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 12, चूरू (राज.), (39) याकूब अली पुत्र सादुले खाँ जाति कायमखानी निवासी ग्राम ताकलसर तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.), (40) राजवीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति चारण निवासी वार्ड न. 24, चूरू (राज.), (41) उस्मानगनी खोखर पुत्र उमेद खान जाति कायमखानी निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री की अपील इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई ओर अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा तारीख 25 माह 05 सन् 2026 नियत की गई है। यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीटर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नही होगा तो यह आपको अनुपस्थिति में सुनी जाकर विनिश्चित की जावेगी।

यह आज तारीख 16 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से-रीडर
मोहर अदालत
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी
भू-राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर

दुरभाष नम्बर 01425-224219
ई-मेल-tdrsbr@ymail.com
क्रमांक-भू.अ./2026/2188 दिनांक-11.5.26

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी आकोदा तहसील फुलेरा द्वारा ग्राम आकोदा की आराजी खसरा नंबर 1035 रकबा 1.0495 हैक्टेयर के मृतक खातेदार रामेश्वरलाल पुत्र जोहरीलाल जाति कुमावत सा0 देह का वसीयत दिनांक 26.12.1995 के आधार पर फौती नामान्तरण खुलवाने बाबत् प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है।

अतः यदि किसी वारिस / दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति / एतराज हो तो आगामी दिनांक 26.05.2026 तक मय दस्तावेज पेश करे अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.) फुलेरा मु साँभर लेक

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना

(आदेश 41 के नियम 14)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड
मंदिर सीताराम वगैरा बनाम शरद चन्द आदि
अपील CIS CRA 10/2025
अपील नम्बर-13/2025

नाम-1- शरद चन्द 2- अतुल कुमार पुत्रान कंवर बहादुर निवासी मौहल्ला बूचाहेड़ा कस्बा कोटपूतली हाल मकान नम्बर-3546 रूपराम बाग, नाजीम की हवेली बारियो की गली, मोती कटला जयपुर, राज.

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में MJM के आदेश की डिकी की अपील अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित की गयी है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गयी है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा ता 18 माह 05 सन् 2026 नियत की गयी है। यदि इस अपील मे आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति मे सुनी और विनिश्चित की जावेगी।

यह आज तारीख 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर मे ओरे न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी ।

न्यायाधीश
मोहर अपर जिला न्यायाधीश क्रम-02
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
क्रम सं. 17 जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
मुजीब मोहम्मद विरुद्ध मो. जावेद
वाद बाबत स्थाई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा
DN 341 13.05.2026 वाद सं. 85 सन् 2026
टी आई नंबर 99/26
बनाम मो. जावेद असामी पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद खान
स्थान प्लॉट नं. 41, मिशन कम्पाउंड, अजमेर रोड,जयपुर

वादी ने आपके विरुध नकल सलंग्न नही है के लिये वाद पंजीयन किया है आपका इस न्यायालय में तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को दिन में 08:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता०. 13 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आज्ञा से रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
मोहर क्रम. सं. 17, जयपुर महानगर प्रथम

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, फतेहपुर शेखावाटी

ललित बनाम सुगनसिंह आदि
वादपत्र : 50/26
प्रार्थनापत्र सं. : 19/26
आ.तारीख पेशी : 29/05/2026
आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 10 जा.दी.

इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27/04/2026 के अनुसरण में प्रतिवादीगण स. 1 ता 3 (1) सुगनसिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज. (2) रामवतार उम्र वर्ष 62 वर्ष पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हटटीदान तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज. (3) बनवारी लाल उम्र 80 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति महाजन निवासी सारस्वतो का मोहल्ला चर्तुभुज माता माई मन्दिर के पास फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद क्वारटर न.-14 एल आई सी अर्पाटमेन्ट सेक्टर न. 6 विद्याधर नगर जयपुर 302039 उक्त वादी / प्रार्थी ललित कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र सत्यनारायण गनेडीवाल निवासी फतेहपुर शेखावाटी हाल आबाद 7/ई, क्लाई रॉ ग्राउण्ड फ्लोर कोलकत्ता-700101 ने इस न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी कस्बा फतेहपुर शेखावाटी के पुराना वार्ड न. 16 तथा नया वार्ड न. 27 में आशारामजी मन्दिर के सामने एक पूर्वमुखी व दक्षिण झांकता धर्मशाला व पितरालय स्थित है जो गनेडीवालो की धर्मशाला व पितरालय के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें दक्षिण झांकती एक दुकान स्थित है जो कि विक्रय पत्र में दुकान के नम्बर 3 के नाम से अंकित है जिसके पूर्व में वादी की सम्पदा, पश्चिम में वादी व दुकान नम्बर-4, उत्तर में धर्मशाला का चौक, व दक्षिण में आम रास्ता जिसमें आपको बतौर प्रतिवादी / अप्रार्थी सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29/05/26 को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादपत्र की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपी अनुपस्थिति मे किया जायेगा उक्त सूचना/विज्ञापन आज दिनांक 28/04/2026 को मेरे हस्ताक्षरो व न्यायालय की मुद्रा से वास्ते समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, फतेहपुर शेखावाटी

ललित बनाम नारायणसिंह आदि
वादपत्र : 37/26
प्रार्थनापत्र सं. : 13/26
आ.तारीख पेशी : 29/05/2026
आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 10 जा.दी.

इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27/04/26 के अनुसरण में प्रतिवादी स. 2 बनवारी लाल उम्र 80 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति महाजन निवासी सारस्वतो का मोहल्ला चर्तुभुज माता माई मन्दिर के पास फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद क्वारटर न.-14 एल आई सी अर्पाटमेन्ट सेक्टर न. 6 विद्याधर नगर जयपुर 302039 उक्त वादी/प्रार्थी ललित कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र सत्यनारायण गनेडीवाल निवासी आबाद 7/ई, क्लाई रॉ ग्राउण्ड फ्लोर फतेहपुर शेखावाटी हाल कोलकत्ता -700101 ने इस न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी कस्बा फतेहपुर शेखावाटी के पुराना वार्ड न. 16 तथा नया वार्ड न. 27 में आशारामजी मन्दिर के सामने एक पूर्वमुखी व दक्षिण झांकता धर्मशाला व पितरालय स्थित है जो गनेडीवालो की धर्मशाला व पितरालय के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें दक्षिण झांकती एक दुकान स्थित है जो कि विक्रय पत्र में दुकान के नाम से अंकित है जिसके पूर्व में वादी की सम्पदा, पश्चिम में वादी व दुकान नम्बर-2, उत्तर में धर्मशाला का चौक, व दक्षिण में आम रास्ता जिसमें आपको बतौर प्रतिवादी / अप्रार्थी सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 2965/26 को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादपत्र की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपी अनुपस्थिति मे किया जायेगा उक्त सूचना/विज्ञापन आज दिनांक 28/04/26 को मेरे हस्ताक्षरो व न्यायालय की से वास्ते समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, फतेहपुर शेखावाटी

ललित बनाम निवास आदि
वादपत्र : 15/26
प्रार्थनापत्र सं. : 6/26
आ.तारीख पेशी : 29/05/2026
आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 10 जा.दी.

इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27/4/26 के अनुसरण में प्रतिवादी स. 2 बनवारी लाल उम्र 80 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति महाजन निवासी सारस्वतो का मोहल्ला चर्तुभुज माता माई मन्दिर के पास फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद क्वारटर न.-14 एल आई सी अर्पाटमेन्ट सेक्टर न. 6 विद्याधर नगर जयपुर 302039 उक्त वादी/प्रार्थी ललित कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र सत्यनारायण गनेडीवाल निवासी फतेहपुर शेखावाटी हाल आबाद 7/ई, क्लाई रॉ ग्राउण्ड फ्लोर कोलकत्ता-700101 ने इस न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी कस्बा फतेहपुर शेखावाटी के पुराना वार्ड न. 16 तथा नया वार्ड न. 27 में आशारामजी मन्दिर के सामने एक पूर्वमुखी व दक्षिण झांकता धर्मशाला व पितरालय स्थित है जो गनेडीवालो की धर्मशाला व पितरालय के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें दक्षिण झांकती एक दुकान स्थित है जो 6 नाम से अंकित है जिसके पूर्व में दुकान कि विक्रय पत्र में दुकान नम्बर नम्बर 5, पश्चिम में अन्य सम्पति, उत्तर में धर्मशाला का चौक, व दक्षिण में आम रास्ता जिसमें आपको बतौर प्रतिवादी/ अप्रार्थी सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29/05/26 को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादपत्र की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपी अनुपस्थिति मे किया जायेगा उक्त सूचना/विज्ञापन आज दिनांक 28/04/2026 की मेरे हस्ताक्षरो व न्यायालय की मुद्रा से वास्ते समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, फतेहपुर शेखावाटी

ललित बनाम जगदीश भडिया आदि
वादपत्र : 176/26
प्रार्थनापत्र सं. : 73/26
आ.तारीख पेशी : 27/05/2026
आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 10 जा.दी.

इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25/04/26 के अनुसरण में प्रतिवादी स. 2 बनवारी लाल उम्र 80 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति महाजन निवासी सारस्वतो का मोहल्ला चर्तुभुज माता माई मन्दिर के पास फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद क्वारटर न.-14 एल आई सी अर्पाटमेन्ट सेक्टर न. 6 विद्याधर नगर जयपुर 302039 उक्त वादी/प्रार्थी ललित कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र सत्यनारायण गनेडीवाल निवासी ग्राउण्ड फ्लोर आबाद 7/ई, क्लाई रॉ ग्राउण्ड फतेहपुर शेखावाटी हाल कोलकत्ता-700101 ने इस न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी कस्बा फतेहपुर शेखावाटी के पुराना वार्ड न. 16 तथा नया वार्ड न. 27 में आशारामजी मन्दिर के सामने एक पूर्वमुखी व दक्षिण झांकता धर्मशाला व पितरालय स्थित है जो गनेडीवालो की धर्मशाला व पितरालय के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें दक्षिण झांकती एक दुकान स्थित है जो 4 नाम से अंकित है जिसके पूर्व में दुकान कि विक्रय पत्र में दुकान नम्बर नम्बर 3, पश्चिम में वादी व दुकान नम्बर-5, उत्तर में धर्मशाला का चौक, व दक्षिण में आम रास्ता जिसमें आपको बतौर प्रतिवादी/अप्रार्थी सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27/05/26 को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादपत्र की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपी अनुपस्थिति मे किया जायेगा उक्त सूचना/विज्ञापन आज दिनांक 27/04/26 को मेरे हस्ताक्षरो व न्यायालय की मुद्रा से वास्ते समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, फतेहपुर शेखावाटी

ललित बनाम केशरदेव आदि
वादपत्र : 207/26
प्रार्थनापत्र सं. : 81/26
आ.तारीख पेशी : 29/05/2026
आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 10 जा.दी.

इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 01/05/26 के अनुसरण में प्रतिवादी स. 2 बनवारी लाल उम्र 80 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति महाजन निवासी सारस्वतो का मोहल्ला चर्तुभुज माता माई मन्दिर के पास फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद क्वारटर न.- 14 एल आई सी अर्पाटमेन्ट सेक्टर न. 6 विद्याधर नगर जयपुर 302039 उक्त वादी/प्रार्थी ललित कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र सत्यनारायण गनेडीवाल निवासी फतेहपुर शेखावाटी हाल आबाद 7/ई, क्लाई रॉ ग्राउण्ड फ्लोर कोलकत्ता-700101 ने इस न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी कस्बा फतेहपुर शेखावाटी के पुराना वार्ड न. 16 तथा नया वार्ड न. २७ में आशारामजी मन्दिर के सामने एक पूर्वमुखी व दक्षिण झांकता धर्मशाला व पितरालय स्थित है जो गनेडीवालो की धर्मशाला व पितरालय के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें दक्षिण झांकती एक दुकान स्थित है जो कि विक्रय पत्र में दुकान नम्बर-1 के नाम से अंकित है जिसके पूर्व में वादी की सम्पदा, पश्चिम में वादी व दुकान नम्बर-३, उत्तर में धर्मशाला का चौक, व दक्षिण में आम रास्ता जिसमें आपको बतौर प्रतिवादी/अप्रार्थी सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29/05/26 को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादपत्र की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपी अनुपस्थिति मे किया जायेगा उक्त सूचना/विज्ञापन आज दिनांक 07/05/26 को मेरे हस्ताक्षरो व न्यायालय की मुद्रा से वास्ते समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर

कार्यालय ग्राम पंचायत डूगरी, पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक-14/ग्रा.प.डूंगरी/2026-27 दिनांक :- 12/05/26

ई-निविदा सूचना संख्या-01/2026-27

पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत डूगरी में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रकिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डूगरी
प.सं. सवाई माधोपुर
ZSM2627A0103
ZSM2627WSOB00137
प्रशासक
ग्राम पंचायत डूगरी
प.सं. सवाई माधोपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे

आवश्यक सूचना

पत्र संख्याः W/350/1 दिनांक : 13.05.2026

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि सांगानेर-शिवदासपुरा के मध्य रेलवे फाटक संख्या-73 (शिकारपुरा फाटक) KM 115/6-8 को दिनांक 14.05.2026 शाम 22:00 बजे से दिनांक 15.05.2026 सुबह 6:00 बजे तक ट्रैक मरम्मत कार्य हेतु पूर्णरुप से बन्द रहेगा, असुविधा के लिए खेद है।

मण्डल इन्जी.(मुख्या.) जयपुर

/NWRailways NWRailways_ 708-PH/26

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोंक रोड, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ / 2026 / 75 दिनांकः 11.05.2026

ई-निविदा सूचना सं. अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट द्वितीय) - 06/2026-27

सभी पात्र एवं इस कार्य हेतु अधिकृत निविदादाताओं से अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट द्वितीय) से सम्बन्धित कार्य (Replacement of old and damaged existing sewerage system along with laying of new sewerage system and all ancillary works including 3 year defect liability with 5 years O&M for Package-3 (Jhotwara, Murlipura & Vidhyadhar Nagar Zone) of Nagar Nigam Jaipur under AMRUT 2.0 Scheme.) हेतु निविदाए आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number JMC2627WLOB00123 है।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट द्वितीय)
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/26/2708

कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा, जिला जयपुर

क्रमांक-न.पा.फु./2026-27/431 **आपत्ति सूचना** दिनांक-12/05/2026

एतद् द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आग खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने 90-ए, 69-क पट्टा चाहने हेतु इस कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत किया है :-

क्र. स.	प्रार्थी का नाम	स्थान	क्षेत्रफल वर्गगज	प्रयोजनार्थ
1	श्री मदन सिंह जाखड़ पुत्र श्री मांगी लाल जाखड़	प्लाट नं. 21, परमहंस नगर, बालाजी रोड़ काचरोदा, फुलेरा	182.00	90-ए के अन्तर्गत आवासीय पट्टा
2	श्री शंकर लाल बैरवा पुत्र श्री रामरतन बैरवा	प्लाट नं. 154, माँ वैष्णो सिटी फुलेरा	138.88	90-ए के अन्तर्गत आवासीय पट्टा
3	श्री कन्हैया लाल कुमावत पुत्र श्री चतरूराम कुमावत व नितिन राजोरा पुत्र श्री कैलाश चन्द राजोरा	प्लाट नं. 07, नारायण विहार बालाजी रोड़ काचरोदा फुलेरा	266.66	90-ए के अन्तर्गत आवासीय पट्टा
4	श्री राजकुमार अग्रवाल, गिर्राज कुमार अग्रवाल पुत्रान स्व. श्री श्रीराम अग्रवाल	आवासीय भूखण्ड पार्ट ए व पार्ट बी वाके कुम्हारों का मोहल्ला, गणगौरी बाजार फुलेरा	345.16	69-क के अन्तर्गत आवासीय पट्टा
5	श्री रामदेव अग्रवाल पुत्र श्री गणेशी लाल अग्रवाल	आवासीय भूखण्ड वाके राज बाजार फुलेरा	301.00	69-क के अन्तर्गत आवासीय पट्टा

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार 90-ए, 69-क पट्टा बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथी से 7 दिवस के अन्दर मयाद विथिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित मे आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय मे अधोहस्तारकर्ता को प्रस्तुत करावे। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नही होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल, फुलेरा